

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सो. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 221]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 9 सितम्बर 2002—भाद्र 18, शक 1924

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ 73/77/02/HE/38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 का उपभाग (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है जो श्री रावतपुरा सरकार अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, रायपुर कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.
2. राज्य शासन एतद्वारा श्री रावतपुरा सरकार अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, रायपुर को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियम के अंतर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 7th September 2002

NOTIFICATION

No. F 73/77/02/HE/38.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Niji Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as the SHRI RAWATPURA SARKAR INTERNATIONAL UNIVERSITY, RAIPUR, with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head office of the University shall be at Raipur (C.G.).
2. The State Government, hereby, authorises SHRI RAWATPURA SARKAR INTERNATIONAL UNIVERSITY, RAIPUR to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. पी. त्रिवेदी, सचिव.